

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष-2550488,2550446,2553305,2551282 फ़ैक्स-0755-555162

E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 56/चार/2019/कॉमन सिम्बल/९९२६

भोपाल, दिनांक 24.03.19

प्रति,

रिटर्निंग ऑफिसर
समस्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
मध्यप्रदेश।

विषय:- लोक सभा निर्वाचन 2019 में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 10.बी के अंतर्गत छूट विषयक।
संदर्भ:- भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्र. 56/LET/ECI/PP/PPS-II/2017 दिनांक 20.03.2019

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 20.03.2019 की प्रति संलग्न है जिसके द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 बहुचरणीय होने के कारण, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10 बी के उप पैरा B (i) में किसी भी गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को कॉमन सिम्बल की सुविधा राज्य में कम से कम 2 संसदीय क्षेत्रों में अपने अभ्यर्थी खड़े करने की शर्त पर दिए जाने के प्रावधान को शिथिल किया गया है।

अतः आगामी लोकसभा निर्वाचनो में गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के अभ्यर्थियो को आयोग द्वारा उन्हें आवंटित कॉमन चुनाव चिन्ह आवंटन करना सुनिश्चित करें।
संलग्न उपरोक्तानुसार


(संदीप यादव)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ.फा.क्र. 56/चार/2018/कॉमन सिम्बल/९९२७

भोपाल, दिनांक 24.03.19

प्रतिलिपि :-

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. श्री राहुल वाघमारे, प्रोग्रामर, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


(संदीप यादव)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

By Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi- 110001

No.56/LET/ECI/PP/PPS-II/2017

Date: 20th March, 2018

To,

The Chief Electoral Officer,
Madhya Pradesh,
Bhopal


Sub: - Clarification about minimum requirement of constituencies in respect of provisions of Para 10 B- regarding

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 56/2019/4/Common Symbol/4675 dated 15.03.2019 on the subject cited above and to state that in single phased election it is easy to ascertain the minimum number of constituencies to be contested for allotment of common symbol under Para 10B. However, in a multi-phased election, the minimum number of constituencies can be ascertained only after the completion of nominations of last phase of elections.

Therefore, it is informed that the common symbol in multi phased election can be allotted to the unrecognized party under Para 10B without ascertaining the minimum number of Parliamentary Constituencies for the initial phases as per the concession given to the candidates of unrecognized parties by this Commission under Para 10B of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968.

Yours faithfully,


(PRAMOD KUMAR SHARMA)
SECRETARY